मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2016 को आयोजित आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) घरेलू एवं व्यवसायिक गैस का वितरण :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि घरेलू गैस की तुलना में व्यवसायिक उपभोक्ताओं को प्रतिशत में मात्र 1.35 प्रतिशत है। विगत माहो की तुलनात्मक ऑकड़े से भी स्पष्ट है कि व्यवसायिक उपभोक्ताओं के प्रतिशत/व्यवसायिक गैसों की खपत का प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला को निदेश दिया गया कि वे अपने प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 05 (पाँच) होटल/प्रतिष्ठानों/नर्सिंग होम/ अस्पताल के किचन/चाय की दूकान की औचक निरीक्षण करेगें एवं निरीक्षण के दौरान यदि होटल/प्रतिष्ठानों/नर्सिंग होम/ अस्पताल के किचन/चाय की दूकान पर धरेलू गैस का उपयोग करते हुए पाया जाय तो उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिनिश्चत करेगें। साथ ही अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाले दूकानों की भी जॉच कर दोषी के विरूद्व विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें। अनुमंडल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी इसकी monitoring कर अगले माह प्रतिवेदन में अंकित करेगें।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया गया DBTL का प्रतिवेदन/बैकलॉग प्रतिवेदन अगले बैठक से एक सप्ताह पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि बैठक में इसकी भी समीक्षा की जा सकें।

(2) उज्जवाला योजना:-

समीक्षा के कम में पाया गया कि लंबित कनेक्शनों की संख्या माह अगस्त तक 12690 है जो कि खेदजनक स्थिति है। निदेश दिया गया कि सभी गैस एजेन्सी लंबित कनेक्शनों को इस का लक्ष्य मानते हुए शून्य करेगें।

(3) राशन कार्ड का सत्यापन:-

समीक्षा के कम में पाया गया कि राशन कार्डो का सत्यापन शत प्रतिशत नहीं हुई है। अपात्र परिवारों की संख्या अनुमंडल मधेपुरा में अत्यंत ही कम है, जो कि विश्वसनीय नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि लाभुकों का राशन कार्ड सत्यापन की Random जॉच सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्र में करेगें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 10 प्रतिशत , प्रखंड विकास पदाधिकारी 5 प्रतिशत,

अनुमंडल पदाधिकारी 2 प्रतिशत जिला आपूर्ति पदाधिकारी 2 प्रतिशत के द्वारा जाँच की जाएगी। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे शत प्रतिशत सर्वेक्षण संबंधित सभी कागजात प्राप्त करें तथा पंचायतवार/डीलर वार्ड अपात्र परिवारों की सूची बना कर अनुमंडल पदाधिकारी को भेजें। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपात्र परिवारों को नोटिस का तामिला कराते हुए उन्हे अपात्र घोषित करने कि कार्रवाई सुनिश्चित करेगें। इसे हर हाल में 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाय।

(4) राशन/किरासन कूपन वितरण :-

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशन/किरासन कूपन वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। वितरण के लिए कर्मी कि प्रतिनियुक्ति आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निकाला जा चुका है। निदेश दिया गया कि कूपन वितरण कार्य दुर्गापूजा के छुट्टी के पूर्व दिनांक 08.10.16 तक शत प्रतिशत पूरा कर लिया जाय। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे निरंतर कूपन वितरण केन्द्र का क्षेत्र भ्रमण करें तथा क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। साथ ही यह भी निदेश दिया कि आपूर्ति की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 15.10.16 के पूर्व अंतिम कूपन वितरण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी जिला आपूर्ति कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

(5) किरासन तेल का उठाव/वितरण -

समीक्षा के क्रम में पाया कि थोक किरासन तेल विक्रेता के भंडार उपलब्ध किरासन तेल की माप/ नोजल की जाँच विधिवत नहीं कि जाती है। इस संबंध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत थोक किरासन तेल विक्रेता के भंडार उपलब्ध किरासन तेल की माप/ नोजल की जाँच कर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही थोक किरासन तेल विक्रेता द्वारा कम्पनी से मंगाये गये टेकलौरी की व्यापार परिसर में जाँच करेगें तथा इसे Whatspp पर भी अपलोड करेगें।

(6) खाद्यान्न उठाव/वितरणः-

समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि माह अगस्त के खाद्यान्न वितरण शत प्रतिशत हो चुका है। सितम्बर माह का खाद्यान्न डीलर तक नहीं पहुँच रहा है जबकि राशि जमा है।

इस संबंध में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम मधेपुरा से पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम मधेपुरा (FCI)से हो रहा है तथा दिनांक 08.10.16

तक खाद्यान्न उठाव शत प्रतिशत हो जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि खाद्यान्न का चक्रीय व्यवस्था तथा फूड कैलेन्डर में निर्धारित तिथि /अवधि का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि फूड कैलेन्डर में हुई देरी/अनियमितता के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी/कर्मी की पहचान कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेगें।

बैठक में खाद्यान वितरण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दर के अनुरूप अपने देख-रेख में खाद्यान्न का वितरण करायेगें। यदि किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्व उपभोक्ताओं से कम खाद्यान्न वितरण किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत जॉच कर दोषी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्व अभिलंब कार्रवाई करने का प्रस्ताव संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को देगें। खाद्यान्न/किरासन तेल की वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार अनियमितताये संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जायेगी।

(7) PDS निरीक्षण

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के संख्या पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी को निदेशित किया कि प्रत्येक माह कम से कम 50 प्रतिशत डीलर के दूकान का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेगें। निरीक्षण प्रतिवेदन में कम से कम 10 लाभुकों का लिखित रूप से ब्यान हों लेना सुनिश्चित करेगें।

निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण का फोटो SupplyWatch (Whatspp) पर भी अपलोड करें।

(8) अनुश्रवण समिति

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति/अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित हो तथा प्रत्येक पी0 डी0 एस0 डीलर की वितरण पंजी का सत्यापन वार्ड स्तरीय निगरानी समिति से हो। इसकी प्रति सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने कार्यालय में भी रखेगें।

(9) जी0पी0एस0/लौडशेल युक्त वाहन :-

जिलाधिकारी द्वारा परिवहन अभिकत्ता (संवेदक) को निदेश दिया गया कि राज्य खाद्य निगम के गोंदाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आपूर्ति करने वाले गाड़ियों में जी0पी0एस0 सिस्टम

ऑफ नही रहे । इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबधंक राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि जिस गाड़ी का जी0पी0एस0 सिस्टम ऑफ रहता है, परिवहन अभिकर्त्ता को होने वाले भुगतान मे से विधिवत् कटौती की जाय। खाद्यान्न ढुलाई लोडशेल युक्त वाहन (ट्रेक्टर/ट्रक) से कराना सुनिश्चित करेगें। संबेदक का भुगतान जी0पी0एस0/लौडशेल युक्त वाहन के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0 :—
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक...710............/आ0, मधेपुरा, दिनांक..13.10.2016

प्रतिलिपिः— परिवहन अभिकर्त्ता मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— क्षेत्र प्रबंधक,भारतीय खाद्य निगम,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— उप निदेशक,खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधितों को ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
13/10/16